भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 915
उत्तर देने की तारीख 04 फरवरी, 2026

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई)

915. श्री तेजस्वी सूर्याः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री नीरज मौर्यः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री देवेश शाक्यः
श्री बलभद्र माझीः
श्री यदुवीर वाडियारः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री शंकर लालवानीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) ओडिशा राज्य में पता लगाए गए, अवरुद्ध किए गए और हल किए गए मामलों की संख्या सहित दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए संचार साथी, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म जैसी पहलों के माध्यम से सरकार को क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;
(ग) सरकार द्वारा धोखाधड़ी का वास्तविक समय पर पता लगाने और ओडिशा में की गई संयुक्त कार्रवाई के विशिष्ठ ब्यौरे सहित बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ किस सीमा तक और किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है;
(घ) सरकार द्वारा आपदाओं के दौरान ब्रॉडकास्टिंग सेल जैसी स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए दूरसंचार प्रणालियों के लचीलेपन तथा जन चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उन प्रणालियों को ओडिशा के आपदा-प्रवण क्षेत्रों में कार्यान्वित, सूचीबद्ध या प्रचालित किया गया है; और

(ङ) तेजी से बढ़ते दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल विश्वास, साइबर सुरक्षा और नागरिक जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित भावी रूपरेखा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ओडिशा सहित पूरे भारत में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. दूरसंचार विभाग ने संचार साथी नाम की एक नागरिक केंद्रित पहल शुरू की है, जो वेब पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) और मोबाइल ऐप के तौर पर उपलब्ध है जो नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने, उनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन जानने, खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करने, मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करने आदि की सुविधा प्रदान करता है। संचार साथी के माध्यम से, 8.33 लाख खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए हैं, 2.24 करोड़ मोबाइल कनेक्शन, जिन्हें नागरिकों ने 'मेरा नंबर नहीं' या 'आवश्यक नहीं' के रूप में रिपोर्ट किया था, काट दिए गए हैं और नागरिकों द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी संचार से संबंधित प्रदान किए गए 7.7 लाख इनपुट के आधार पर 39.44 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं।

ii. दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने भारतीय मोबाइल नंबरों को प्रदर्शित करने वाली नकली इंटरनेशनल कॉल्स को पहचानने और ब्लॉक करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम से ऐसी कॉल की कोशिशों में लगभग 99 प्रतिशत की कमी आई है।

iii. दूरसंचार विभाग ने एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग नामों से लिए गए सिम की पहचान करने के लिए एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डेटा एनालिटिक्स टूल अस्त्र बनाया है। अस्त्र के आधार पर पुन:सत्यापन में फेल होने पर 88 लाख से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं ।

iv. दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में टेलीकॉम संसाधनों के दूरूपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के साथ द्विपक्षीय जानकारी साझा करने के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) बनाया है। डीआईपी पर 1200 से ज़्यादा संगठन जुड़े हैं, जिनमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), 1100 बैंक,

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (पीएसओ), दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी), व्हाट्सएप इत्यादि शामिल हैं ।

v. दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) बनाया है। यह एक रिस्क-बेस्ड मेट्रिक है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मीडियम, हाई या बहुत हाई जोखिम से जुड़ा बताता है। एफआरआई के आधार पर, बैंक और यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर जैसे हितधारक अपने-अपने क्षेत्र में जुड़े अकाउंट/प्रोफाइल पर अपने विश्लेषण के अनुसार ज़रूरी कार्रवाई करते हैं। हितधारकों की रिपोर्ट के अनुसार, लेनदेन रोककर और नागरिकों को दिए गए अलर्ट/नोटिफिकेशन के आधार पर रोकी गई कुल वित्तीय रकम ₹1000 करोड़ से ज़्यादा है।

(घ) आपदा प्रबंधन के लिए जन चेतावनी प्रणाली को देश भर में स्वदेशी कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) पर आधारित एकीकृत सतर्क प्रणाली को लागू करके मज़बूत किया गया है, जो आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों, सतर्कता जारी करने वाली एजेंसियों, टीएसपी सहित सतर्कता प्रसारित करने वाली एजेंसियों के घनिष्ठ समन्वय से यथासमय जियो-टारगेटेड और बहुभाषी आपातकालीन सतर्कता जारी करने में समर्थ बनाता है।

(ङ) दूरसंचार विभाग ने एक टी-सीएसआईआरटी फ्रेमवर्क बनाया है जो दूरसंचार इकोसिस्टम के लिए सेक्टॉरल इंसिडेंट रेस्पॉन्स और साइबर सुरक्षा समन्वय कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य टीएसपी के दूरसंचार नेटवर्क पर असर डालने वाली साइबर घटनाओं और कमजोरियों का समय पर पता लगाना, विश्लेषण करना, समन्वय करना और उन्हें कम करना है, जिसमें महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना भी शामिल है।

दूरसंचार विभाग सक्रिय रूप से डिजीटल सुरक्षा संवर्धन एवं दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बडे पैमाने पर बहुभाषी जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज आर्टीकल्स, डिजिटल स्क्रीन, सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग, टीवी और रेडियो संदेश, एसएमएस अभियान, संचार मित्र स्कीम के तहत स्टूडेंट वॉलेंटियर्स इत्यादि शामिल है।
